कार्यवृत्त

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वननिकासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 (समय समय पर संशोधित) के धारा–6 (5) तथा पर्यावरण एंव वनमत्रालय भारत सरकार के पत्र सं0 11–09/98–FC(pt) दिनांक 09.8.2009 द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला स्तरीय समिति की बैठक आज दिनांक 16.2.15 मे जिलाधिकारी देहरादून की अध्यक्षता मे सम्पन्न हुई। बैठक मे समस्त अन्य सदस्यगण थे इस बैठक मे निम्न प्रस्ताव पर उक्त अधिनियम के अनुसार किन्ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के right व settlements के सम्बन्ध में चर्चा व विचार विमर्श हुआ–

जिला देहरादून उत्तराखण्ड ग्राम शम्भु की चौकी पजिया सम्पर्क मार्ग का बनसार ठुरउ तक विस्तार हेतु 1. 8536 है0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 500 वृक्षों के पातन की अनुमति हेतु अ0ख0,लो0नि0वि0 सहिया को वनभूमि हस्तान्तरण।

उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम के धारा –6(1) के अनुसार दधोउ , पजिया , बनसार , ठुरउ ग्राम स्तरीय समिति द्वारा उनकी बैठक क्रमशः दिनॉक 10.01.2015/10.01.2015/12.01.2015 को विचार विमर्श कर नियमानुसार निस्तारण किया गया है। पुनः उक्त प्रस्ताव को कथित अधिनियम की धारा –6(3) के प्राविधानानुसार उपजिलाधिकारी कालसी की अध्यक्षता में गठित उपजिलास्तरीय समिति द्वारा उनके बैठक दिनॉक 12.01..2015 को विचार विमर्श कर निस्तारण हेतु जिला स्तरीय समिति को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।उक्त समितियों के द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव /आख्या के अनुसार वर्तमान मे विचाराधीन उक्त वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव मे पाया गया कि चकराता वनप्रभाग की रिवर रनेज के अर्न्तगत सिविल सोयम वन भुमि मे चिन्हत भु–भाग पर वनअधिकार हेतु किन्ही अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वन निवासी से सम्बन्धित समुदाय का का कोई Right व Settlements की कार्यवाही अपेक्षित नही है। अत वनअधिकार हेतु कोई दावा नही है ।

बैठक मे जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रस्ताव पर अनुमोदित किया गया । अन्त मे बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त की गयी ।

16/2/15 16/2/15

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून सदस्य सचिव	प्रभागीय वनाधिकारी चकराता वन प्रभाग चकराता सदस्य	जिलाधिकारी अध्यक्ष देहरादून District Magistrate Dehra Dun.

Form-30.1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT DEHRADUN (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA) 2006.

A meeting of the district level committee of Dehradun district, constituted under FRA 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ravinath Raman I.A.S. District Magistrate, Dehradun on date 16.2.15......at dehradun in which application claiming Kalsi Block area measuring 7.000 Hect for the Construction of of Shambhu ki chauki to Dadau-Panjiya-Bansar,Tharau motor road in Kalsi Block/ Tehsils of froest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of kalsi sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection / claims were found to have been made & hence District level committees recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place:-Dehradun
Dated..16-02-2015.

Deputy Commissioner –cum-Chairman
District Level Committee
District Magistrate
Dehra Dun.

Annexure-II

FORM – II

(For projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Dehradun

No:.................... Dated:..16-02-2015..

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recantation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed t be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project. It is certified that 1.8536 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Deptt. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Shambhu ki chauki to Dadau-Panjiya-Bansar,Tharau motor road under State Sector (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of Dadau,Panjiya,Bansar,Tharau village(s) in Kalsi Block/ Tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.8536 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and District Level Committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular / local language) have been placed before each concerned gram sabha of forest- dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each of concerned gram sabha (s), has certified thal all formalities / processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood. The purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of Dadau,Panjiya,Bansar,Tharau villages (s) is enclosed as annexure...21....... To annexure....23:3.........

(d) The discussion and decision on such proposals on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram sabha present.

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the gram subha have giver their consent to it.

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre- Agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Encl: As above

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

District Magistrate
Dehra Dun.

Annexure-I

FORM – 1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector : Dehradun

No:………………… Dated:….16-02-2015

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recantation of Forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed t be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear project. It is certified that 1.8536 hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Public Works Deptt. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of Shambhu ki chauki to Dadau-Panjiya-Bansar,Tharau motor road under State Sector (purpose for diversion of forest land) in Dehradun district falls within jurisdiction of to Dadau,Panjiya,Bansar,Tharau village(s) in Kalsi Block/ Tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.8536 Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level committee (s) and District Level Committee are enclosed as annexure 1 to – annexure.

(b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.

(c) The proposal dose not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above

Signature

(Full name of the official seal of the District Collector)

District Magistrate
Dehra Dun.

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः– शम्भू की चौकी से ददउ–पजिया–बनसार ठुरउ तक विस्तार कि0मी0 2 से 11 तक निर्माण हेतु 1.8536 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कालसी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील –कालसी) उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत – जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में शम्भू की चौकी से ददउ–पजिया–बनसार ठुरउ तक विस्तार निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि 1.8536 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 5.1464 हे0 नापभूमि)वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.8536 हे0 वन भूमि) का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील – कालसी) की दिनांक 12-1-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **अशोक पाण्डेय, उप जिलाधिकारी कालसी** एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अशोक पाण्डेय ,	उपजिलाधिकारी कालसी देहरादून	(अध्यक्ष)	[signature]
2– श्री भारत भूषण मार्तोलिया ,	उपप्रभागीय वनाधिकारी ,चकराता वन प्रभाग चकराता	(सदस्य)	[signature] उप जिलाधिकारी कालसी
3– श्री मिठन लाल ,	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	(सदस्य / सचिव)	[signature]
4– श्री केवाराम ,	बी0डी0सी0 क्षेत्र पजिया	(सदस्य)	केवाराम

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के ग्राम जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में शम्भू की चौकी से ददउ–पजिया–बनसार ठुरउ तक विस्तार निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.8536 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 5.1464 हे0 नापभूमि) का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्योंके समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्तभूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के ग्राम जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में शम्भू की चौकी से ददउ–पजिया–बनसार ठुरउ तक विस्तार निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.8536 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 5.1464 हे0 नापभूमि) को अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित कर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय
वन अधिकार समिति
तहसील :– कालसी
जनपद:– देहरादून

उप जिलाधिकारी
कालसी

प्रतिलिपि –: जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील :– कालसी
जनपद:– देहरादून

313

प्रपत्र–21

परियोजना का नामः– शम्भू की चौकी से ददउ–पजिया–बनसार ठुरउ तक विस्तार कि0मी0 2 से 11 तक निर्माण हेतु 1.8536 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

आम सभा का अनापत्ति प्रमाण–पत्र

परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले गॉवों की प्रत्येक ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव मय अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ संलग्न किया जाये।

प्रधान ग्राम पंचायत छुटाघा
ह0 ______
दि0 ______
वि. ख. कालसी (देहरादून)

ह0/–
ग्राम प्रधान की मोहर

प्रपत्र–21

कार्यालय पंचायत ठुरउ तहसील–कालसी, जिला–देहरादून

अनापत्ति प्रमाण–पत्र

परियोजना का नामः– शम्भू की चौकी से ददउ–पजिया–बनसार ठुरउ तक विस्तार कि0मी0 2 से 11 तक निर्माण हेतु 1.8536 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

जिला देहरादून उत्तराखण्ड में अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0, सहिया के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि 1.8536 हे0 सिविल/समाज भूमि 5.1464 हे0 नाप भूमि) वन भूमि का अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया के पक्ष में हस्तान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचाात ठुरउ द्वारा दिनांक 15-01-15 ग्राम सभा / ग्राम पंचाायत की बैठक में अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया द्वारा आवेदित वन भूम के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र बावत ग्रामवासियों से विस्तृत चर्चा की गई कि फारेस्ट राईट एक्त (एफ0आर0ए0) 2006 के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियेां द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्रमा सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि ग्राम ठुरउ के ग्रामवासियों को उक्त वनभूमि अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया को दिये जाने पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है।

ग्राम सभा की सिफारिशी पर फारेस्ट राईट एक्त (एफ0आर0ए0) 2006 के अन्तर्गत विभाग (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.8536 हे0 सिविल/समाज भूमि 5.1464 हे0 नाप भूमि) वन भूमि का अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया, शम्भु की चौकी से ददउ–पंजिया–बनसार–ठूरउ तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ग्रा0पं0वि0अधि0
ग्रा0पं0. ....
ह0/–
ग्राम सचिव–कालसी

प्रधान ग्राम पंचायत ठुरउ
ह0
दि0.........
वि. ख. कालसी (देहरादून)
ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– शम्भू की चौकी से ददउ–पजिया–बनसार ठुरउ तक विस्तार कि0मी0 2 से 11 तक निर्माण हेतु . है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तहसील कालसी, जिला– देहरादून उत्तराखण्ड में जनपद देहरादून के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र चकराता के ग्रमा, शम्भु की चौकी से ददउ–पंजिया–बनसार–ठूरउ तक मार्ग के नवनिर्माण हेतु प्रदान किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। तक विस्तार परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.8536हे0 सिविल सोयम भूमि, नाप भूमि S.1464 हे0 वन पंचायत भूमि 0.00 हे0) अर्थात कुल 1.8536हे0 वन भूमि का अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया के विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक– 15-01-15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अ0ख0, लो0नि0वि0, सहिया प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्रा0प0वि0अधि0
ग्रा0पं. ....
वि0ख0 कालसी (दे0दून)
ह0/–
ग्राम सचिव– कालसी

प्रधान ग्राम पंचायत छुटाऊ
वि0 ....
वि. ख. कालसी (देहरादून)
ह0/–
ग्राम प्रधान–

प्रपत्र–23.1

दिनांक : 15-01-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंचायत – ठुरउ

कमाक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	छिगमा सिंह तोमर	[illegible]
2	सूरतसिंह	सूरतसिंह
3	सरदार सिंह	सरदारसिंह
4	मदनसिंह	मदन
5	चमेका देवी	चमेका
6	शीला देवी	शीला
7	भीमो देवी	भीमो
8	सुशीला देवी	सुशीला
9	रतन सिंह	रतन सिंह
10	श्याम सिंह	श्यामसिंह
11	गीता	[illegible]
12	मोहर सिंह	मोहर
13	सावता देवी	सावता
14	दीवान सिंह	दीवान सिंह
15	बलवीर सिंह	बलबीर
16	नारायण सिंह	नारायण सिंह
17	धनसिंह	धन सिंह
18	रणवीर	रणवीर

19 विरेन्द्र सिंह

प्रधान ग्राम पंचायत
वि. ख. कालसी (देहरादून)

ग्राम प्रधान–[redacted]

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः– शम्भू की चौकी से ददउ–पजिया–बनसार ठुरउ तक विस्तार कि0मी0 2 से 11 तक निर्माण हेतु 1.8536 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

कार्यालय उप जिलाधिकारी कालसी
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील –कालसी) उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत – जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में शम्भू की चौकी से ददउ–पजिया–बनसार ठुरउ तक विस्तार निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि 1.8536 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 5.1464 हे0 नापभूमि)वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.8536 हे0 वन भूमि) का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील – कालसी) की दिनांक 15.01.15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **अशोक पाण्डेय, उप जिलाधिकारी कालसी** एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री अशोक पाण्डेय ,	उपजिलाधिकारी कालसी देहरादून	(अध्यक्ष)	
2– श्री भारत भूषण मार्तोलिया ,	उपप्रभागीय वनाधिकारी ,चकराता वन प्रभाग चकराता	(सदस्य)	उपजिलाधिकारी कालसी
3– श्री मिठन लाल ,	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	(सदस्य / सचिव)	
4– नारायण ,	बी0डी0सी0 क्षेत्र	(सदस्य)	

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के ग्राम जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में शम्भू की चौकी से ददउ–पजिया–बनसार ठुरउ तक विस्तार निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.8536 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 5.1464 हे0 नापभूमि) का अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्योंके समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्तभूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा / आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा / पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड कालसी परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के ग्राम जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता में शम्भू की चौकी से ददउ–पजिया–बनसार ठुरउ तक विस्तार निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.8536 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि, 5.1464 हे0 नापभूमि) को अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग सहिया के पक्ष में हस्तान्तरित कर जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय
वन अधिकार समिति
तहसील :– कालसी
जनपद:– देहरादून

प्रतिलिपि –: जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील :– कालसी
जनपद:– देहरादून

प्रपत्र–23.3

परियोजना का नामः– शम्भू की चौकी से ददउ–पजिया–बनसार ठुरउ तक विस्तार कि0मी0 2 से 11 तक निर्माण हेतु 1.8536 है0 वन भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

जनपद– देहरादून .के अन्तर्गत वन भूमि पर प्रस्तावित जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र चकराता के ग्राम शम्भू की चौकी से ददउ–पजिया–बनसार ठुरउ तक विस्तार के निर्माण हेतु 7.000 है0 वन भूमि का अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 सहिया, देहरादून को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील कालसी तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण–पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

ह0/–

जिलाधिकारी
देहरादून